[Prof. Dilip Chakravarty]

technicalities but also risks of their own lives in addition to other difficulties. They have been treatetd unfortunately at par with a peon of the Central Secretariat. Although the railwaymen are all industrial employees, they have been denied parity in wages and bonus which the other industrial employees get in public sector undertakings. Discrimination is going on with regard to payment of bonus etc. *vis-a-vis* the employees in public under takings. During last 30 years' congress misrule, they had to resort strikes three times and on all the three occasions when the strike was withdrawn they were assured that their grivances will be looked into. But nothing has been done. It is only the Janata Government now which is looking into their grievances rather sympathetically. They have pointed out that the existing set up of the management was created by the Britishers for their own benefits.

MR. SPEAKER: You are repeating only what is mentioned in the Petition.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: No, Sir. I only wan to say that the railwaymen would like to have a scientific wage structure. (*Interruptions*).

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (Cennanore): Sir, I rise on a point of order. (*Interruptions*) He is going on reading it.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I am only placing the problems faced by the railwaymen.

SHRI C.M. STEPHEN (Idukki): Sir, I rise on a point of order. My point of order is that under Rule 168, a Member presenting a petition shall confine himself to a statement.

MR. SPEAKER: Mr. Stephen, you are under a misconception. I allowed him under Rule 377. Even under Rule 377, he should not go on making a speech.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I am placing some of the basic problems faced by the railwaymen in the country with the hope that Government will look into their grievances and see that an expeditious remedy is found out for ameliorating the grievances of the railwaymen.

12.32 hrs.

(iii) STRIKE IN SCINDIA STEAM NAVIGATION COMPANY

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, बम्बई, कलकत्ता और दूसरे प्रदेशों में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी में पिछले 15 दिनों से हड़ताल चल रही है । मैं इस हड़ताल की ओर सभाग्रह और मन्त्री महोदय का ध्यान खींचना चाहती हूं । आप सभी लोग जानते हैं कि एमर्जेन्सी के दौरान अनेकों कम्पनियों और दफ़्तरों में यूनियन में काम करने वाले लोगों के ऊपर किसी-न-किसी प्रकार से ऐक्शन लिया गया, बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया गया । जैसे ही जनता पार्टी की सरकार पावर में आई—26 या 27 अप्रैल, 1977 को हमारे लेबर मिनिस्टर ने एक सर्कुलर निकाल कर सभी जगहों पर भेजा, जिसमें कहा गया था कि सरकारी और खानगी सभी कम्पनियों में ऐमर्जेन्सी के दौरान जिन लोगों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है, नौकरी से निकाला गया है, उनको तुरन्त री इंस्टेट किया जाना चाहिये, काम पर रखना चाहिये ।

सिंधिया स्टीम नविगेशन कम्पनी की यूनियन के जैनरल सेक्रेटरी—श्री लक्ष्मी नारायण को भी एमर्जेन्सी के काल में निकाला गया था । अप्रैल से लेकर नवम्बर तक इस सर्कुलर को लेकर वहां की यूनियन इस बात की कोशिश करती रही कि श्री लक्ष्मी नारायण को काम पर वापस लिया जाय । लेकिन कम्पनी का कहना था कि उनको निकाला नहीं गया था, बल्कि उन्होंने खुद राजीनामा करके इस्तीफ़ा दिया था । घटना इस प्रकार थी कि उस समय बीस सूत्री कार्यक्रम को

लेकर कम्पनी ने यूनियन को विश्वास में न लेकर कुछ सर्कुलर निकाले थे, जिनके विरुद्ध श्री लक्ष्मी नारायण ने कहा था कि यूनियन को कंसल्ट किये बिना सर्कुलर नहीं निकाले जाने चाहिये थे । यह हमारी यूनियन को अधिकार है, जो हमने लड़ कर हासिल किया है । इस सवाल को लेकर कम्पनी ने उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिये मजबूर किया और एमर्जेन्सी के काल में किस प्रकार से काम चलता था—आप सब लोग जानते हैं । पुलिस ने श्री लक्ष्मी नारायण और यूनियन के अन्य पदाधिकारियों को इन्टैरोगट किया और यह धमकी दी कि इस्तीफ़ा नहीं दिया तो मीसा में बन्द कर देंगे । तब उन्होंने बाध्य होकर इस्तीफ़ा दिया । दूसरे दिन सुबह सवा-सात बजे उनका इस्तीफ़ा मंजूर करके उनके घर पर पैसेन्जर से सूचना भेज दी गई और उसी दिन रात को उनके ड्यूज़ सैटिल करने के लिये उनके घर पर उनके ड्यूज़ भेज गये । लेकिन उन्होंने ड्यूज़ स्वीकार नहीं किए, यह कह कर कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, बल्कि मुझे इस्तीफ़ा देने के लिये मजबूर किया गया है । इस बात को हमारे लेबर-मिनिस्टर भी जानते हैं, शिपिंग मिनिस्टर भी जानते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण ने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया, एमरजेन्सी के काल में जिन लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं, उनमें से यह भी एक केस है ।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए—श्री लक्ष्मी नारायण को तुरन्त री-इंस्टेट होना बहुत महत्वपूर्ण बात है । अध्यक्ष महोदय, नवम्बर तक जब यह नहीं हुआ, तो आखीर में यूनियन को स्ट्राइक पर जाना पड़ा और आज स्थिति यह है कि बम्बई और कलकत्ता के पोर्टस में कई दिनों से 15 दिन से शिप्स को रोका गया है और इम्पोर्ट का जो माल आने वाला है, उसको रोका गया है । करीब 3 दिन से पोर्ट और डाक वर्कर्स और नेशनल फेयरर्स यूनियन के कर्मचारियों ने सिंधिया के शिप्स को हाथ लगाने से इंकार कर दिया है और अगर परिस्थिति ऐसी ही चली, तो यह स्ट्राइक और भी फैल जाएगी । आज साउथ बम्बई की करीबन 40 यूनियनों ने एकत्रित होकर इमर्जेन्सी के समय पर जिन पर अत्याचार हुए थे, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक कोआर्डीनेशन कमेटी प्रस्थापित की है और उस कोआर्डीनेशन कमेटी ने भी कहा है कि अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिला, तो हम लोगों को भी कार्यवाही करनी पड़ेगी । इसका बड़ा गम्भीर अर्थ है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जबकि प्राइम मिनिस्टर ने सिंधिया कम्पनी के मालिक श्रीमती सुमिती वैन मोरारजी को लिखित रूप में कह दिया है कि श्री लक्ष्मी नारायण को री-इंस्टेट करना चाहिए, सिंधिया कम्पनी के जो मालिक हैं वे प्राइम मिनिस्टर का उपदेश भी नहीं मानना चाहते हैं । मैं यह भी कहना चाहूंगी कि श्री सुमिती वैन मोरारजी के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन्स रहे हैं और इस कारण 60, 65 करोड़ रुपये का लोन भी इस कम्पनी को दिया गया है । ऐसी कम्पनी जो अपने मज़दूरों पर, अपने कर्मचारियों पर अन्याय करती है और जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को भी मानना नहीं चाहती है, उसको क्यों यह मदद दी जाए । मैं चाहूंगी कि उससे यह मदद विदड्रा कर ली जाए और उस पैसे को रिकवर करने के लिए हम लोग कार्यवाही करें । मेरा तो यह भी कहना है कि आखिर श्री लक्ष्मी नारायण को न्याय दिलाने का फ़र्ज केवल यूनियन या सिंधिया कम्पनी के कर्मचारियों का ही नहीं है बल्कि इस पूरे हाउस का भी है क्योंकि इस हाउस में यह कहा गया है कि इमर्जेन्सी के दिनों में जिन लोगों पर अत्याचार हुए हैं, उनको न्याय दिलाया जाएगा । इसलिए मैं सब लोगों से प्रार्थना करूंगी और अपोजीशन के लोगों से भी अपील करूंगी कि ऐसे लोगों को न्याय दिलाने में वे सहायता करें । भूतपूर्व

[श्रीमती मृणाल गोरे]

प्रधान मन्त्री की बहुत अच्छी दोस्त श्रीमती सुमित्रा बैन मोरारजी रही हैं। उसी दोस्ती के आधार पर आज भी वे इस प्रकार का बर्ताव करना चाहती हैं और अपने कर्मचारियों को न्याय नहीं दिलाना चाहतीं, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए और श्री लक्ष्मी नारायण को किसी हालत में सर्विस में लेना चाहिए। उसी जगह पर उनको सर्विस में वापस लेना चाहिए। मैं चाहती हूं कि सरकार इस तरफ़ ध्यान दे।

12.39 hrs.

(iv) CLOSURE OF UNIVERSITIES AND COLLEGES DUE TO STUDENT UNREST.

श्री भगत राम (फिलोर) : अध्यक्ष महोदय, देश के कोने कोने में जो स्टूडेंट्स में अनरेस्ट फैली हुई हैं और कई यूनिवर्सिटीयां और कालेज बन्द पड़े हैं, यह सब इसलिए हो रहा है कि जो अधिकारी लोग हैं, वे स्टूडेंट्स की बात को समझ नहीं पा रहे हैं और सही ढंग से उनकी प्राब्लम को टैकिल नहीं कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक मैथड नहीं बर्त रहे हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को उकसाया जा रहा है।

मैं आप को पहली और दूसरी तारीख को मेरठ में जो स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुआ और वहां पर गोली चली, उसके बारे में बताना चाहता हूं। वहां के कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मुझे वहां पर बुलाया और मैं वहां पर 5 तारीख को गया था। मैं वहां पर मेरठ कालिज के प्रिंसिपल, वहां के वार्डन्स, स्टूडेंट्स और कुछ शहरियों से भी मिला और मुझे जो वहां पर बताया गया, उससे मैं कनविस्ट हूं कि पहली तारीख को जो वहां पर डी० एन० पालीटेक्नीक, प्रतापर में स्टूडेंट्स में थोड़ा सा अनरेस्ट था, मामूली सा झगड़ा था, पुलिस उसको हल करने के लिए तैयार थी लेकिन वहां के जो डी० एम० हैं, वे जब वहां पर आए, तो उन्होंने आर्डर दिया कि स्टूडेंट्स पर लाठी चलाई जाए। बिना कोई वार्निंग दिये स्टूडेंट्स पर वहां पर लाठी चलाई गई और उसके बाद उन पर गोली का आर्डर दिया और बिना वार्निंग के गोली चली। बहुत से स्टूडेंट्स को पीटा गया। मैंने एक ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जिसके हाथ में पहले ही चोट लगी थी। बसों में चढ़ते हुए स्टुयुडेंट्स को पीटा गया, रेलवे स्टेशन पर स्टुयुडेंट्स को पीटा गया। यही नहीं जो स्टूडेंट्स अपने माता-पिताओं के साथ खेतों में काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया।

वहां के स्टुडेंट लीडर्स एक डेपुटेशन ले कर डी० एम० से मिलने गए। डी० एम० ने उनसे मिलने से इन्कार कर दिया। यही नहीं उनको गिरफ्तार किया गया। उन पर लाठीचार्ज किया गया और बड़ी बेरहमी से पीटा गया।

एक होस्टल में पुलिस घुस गई और बिना प्रिंसीपल और कालेज के अधिकारियों की इजाजत के उसमें घुसी। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स स्टूडेंटस रहते थे। मैंने स्वयं वहां जा कर देखा है कि किस बेरहमी के साथ वहां पर पुलिस ने स्टयुडेंट्स को पीटा है। दरवाजे और चटखनियां कमरों की टूटी पड़ी थीं। किसी का हाथ टूटा था, किसी की टांग पर जख्म था। बहुत-सा सामान उनका इधर-उधर बिखरा पड़ा था। लड़कों का सामान लूटा गया, लड़कों के कपड़े खून में लथपथ थे। खून में लथपथ कुछ कपड़े मैं यहां लाया हूं जो कि आपको यहां सदन में दिखाना चाहता हूं। यह खून से लथपथ कमीज जो मैं आप को दिखा रहा हूं एक मिल्ट्री साइंस के लेक्चरार की है।

मुझे बाद में दूसरे होस्टल के बारे में भी बताया गया। वहां पर भी पुलिस गई थी। वहां का फाटक तोड़ने की पुलिस ने कोशिश की लेकिन वहां फाटक टूटा नहीं। अगर उस होस्टल का फाटक टूट जाता तो पुलिस अन्दर घुस जाती। दूसरे होस्टलों के बारे में भी मुझे